

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

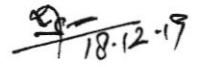
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2634 /2019 दिनांक : 17.12.2019

श्री रूपेन्द्र चौहान (RJ0972), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर को दिनांक 21.11.2019 से 29.11.2019 तक 09 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/138/2015/ 11995

दिनांक : 17.12.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 14774 दिनांक 30.11.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रूपेन्द्र चौहान (RJ0972), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर ।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर), उदयपुर ।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), उदयपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार